अध्याय-2
शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत योजना एवं परियोजनाओं का संचालन

अध्याय-2

शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत योजना एवं परियोजनाओं का संचालन

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मूल रूप से नगरपालिका का कार्य है, और सभी नगरीय प्राधिकरणों के लिए यह अनिवार्य है कि वे इस सेवा को कुशलतापूर्वक प्रदान करें ताकि शहरों और कस्बों को साफ रखा जा सके, अपशिष्ट को संसाधित किया जा सके और पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकार्य तरीके से नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण किया जा सके। लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में पाया कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी पी आर) बिना दिशा-निर्देशों और सही आधारभूत आंकड़ों के अनुपालन के तैयार की गई थीं। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजनाएं और आपातकालीन योजनाएं तैयार नहीं की गई थीं। नगर निगम देहरादून के अतिरिक्त अन्य शहरी स्थानीय निकायों ने घरेलू हानिकारक अपशिष्ट (डी एच डब्ल्यू) के लिए अपशिष्ट निक्षेपण केंद्र स्थापित नहीं किए। इसी तरह, नगर निगम देहरादून के अतिरिक्त नमूना जाँच किये गये अन्य शहरी स्थानीय निकायों में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट की कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। नमूना चयनित शहरी स्थानीय निकायों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर बुनियादी ढाँचागत परियोजनाएं स्थापित नहीं कीं, और कई परियोजनाएं अभी पूरी की जानी शेष थीं। पाँच शहरी स्थानीय निकायों में से केवल एक ने पुराने और परित्यक्त डंप साइटों की कैपिंग का जैविक उपचार किया। डी पी आर अनुमोदन और निधि हस्तांतरण के बावजूद, नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में परियोजना स्थापना प्रारम्भ किया जाना लंबित था।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं एकत्रित अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निस्तारण के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचागत परियोजनाएं हैं। शहरी स्थानीय निकाय में उत्पन्न अपशिष्ट की प्रकृति के अनुसार परियोजनाओं की प्रकृति भिन्न-भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, स्थापित की जाने वाली परियोजनाएं कंपोस्टिंग, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा, अपशिष्ट से ऊर्जा, बायोमिथेनेशन और रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल आदि हैं। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 अपशिष्ट की प्रकृति को समझने, सही प्रकार की परियोजनाओं की स्थापना सुनिश्चित करने और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा डी पी आर तैयार करने के लिए आधारभूत अध्ययन के संचालन को निर्धारित करती

है। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए नीचे **तालिका-2.1** के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में समय-सीमा निर्धारित की गई है:

तालिका-2.1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार की जाने वाली गतिविधियों के लिए निर्धारित समय-सीमा

क्र. सं.	गतिविधियाँ	समय सीमा
1	ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा को स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान।	01 वर्ष
2	• ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा और सेनेटरी लैंडफिल सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थलों की अधिप्राप्ति। • अपशिष्टों का स्रोत पर पृथक्करण के लिए उत्पन्नकर्ताओं को प्रेरित करना। • पृथक्कृत अपशिष्ट घर-घर से एकत्र करके ढके हुए वाहनों में, प्रसंस्करण या निस्तारण सुविधाओं तक परिवहन सुनिश्चित करना। • निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट का अलग से भंडारण, संग्रहण और परिवहन सुनिश्चित करना।	02 वर्ष
3	सभी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना।	03 वर्ष
4	पुराने या परित्यक्त डम्प स्थलों का जैविक उपचार करना या उन्हें ढकना।	05 वर्ष

उत्तराखण्ड के 102 शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की डी पी आर की स्थिति नीचे **तालिका-2.2** के अनुसार थीः

तालिका-2.2: डी पी आर की स्थिति

विवरण	कुल डी पी आर	आच्छादित शहरी स्थानीय निकायों की संख्या
कुल तैयार की गयी डी पी आर	65	92
अनुमोदित डी पी आर	62	89
अनुमोदन के विभिन्न चरणों में डी पी आर	03	03

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना।

नवगठित 10 शहरी स्थानीय निकायों के लिए डी पी आर भी तैयार की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने से संबंधित गतिविधियों में विभिन्न कमियाँ देखीं, जैसा कि आगे प्रस्तर में चर्चा की गई है।

2.1 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आपातकालीन योजनाएँ

2.1.1 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 {प्रस्तर 15(क)} और नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 (नियम 1.4.6) में शहरी स्थानीय निकायों को अल्पकालिक (पाँच वर्ष) और दीर्घकालिक (20-25 वर्ष) कार्य योजना के साथ एक विस्तृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। अल्पकालिक योजना से दीर्घकालिक योजना की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। सभी योजना गतिविधियों को लागू करने की अधिकतम सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक अल्पकालिक योजना की हर 2-3 वर्ष में समीक्षा की जानी चाहिए। अल्पकालिक योजना में संस्थागत सुदृढ़ीकरण, सामुदायिक गतिशीलता, अपशिष्ट न्यूनीकरण की पहल, अपशिष्ट संग्रहण और परिवहन, उपचार एवं निवारण के पहलुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। योजना की तैयारी और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी की होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना इकाइयों में से किसी ने भी नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार नहीं की। राज्य सरकार ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2023) में कहा कि उसने वर्तमान में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य योजना 2022-25 तैयार की है। उत्तर से स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा अवधि तक कोई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य योजना क्रियान्वित नहीं की गई।

2.1.2 आपातकालीन योजना

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 (नियम-5.4) में प्रावधानित है कि शहरी स्थानीय निकायों को अपशिष्ट के उचित भंडारण के लिए आपातकालीन योजनाएँ तैयार करनी चाहिए, ताकि अपशिष्ट प्रसंस्करण, उपचार और निस्तारण सुविधाओं के गैर-प्रदर्शन की स्थिति से निपटा जा सके। संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी योजना तैयार करने और उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार थे।

नमूना जाँच किये गये 13 शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने आपातकालीन योजना तैयार नहीं की थी। आपातकालीन योजना तैयार न करने का प्रभाव अस्थायी दृष्टिकोण को अपनाने में परिलक्षित हुआ, जैसा कि नीचे दिए गए दो प्रकरणों के अध्ययन के माध्यम से दर्शाया गया है:

<u>नगर पालिका परिषद मसूरी:</u>

नगर पालिका परिषद मसूरी के अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि:

- नगर पालिका परिषद मसूरी जुलाई 2022 तक नगर निगम देहरादून के सेनेटरी लैंडफिल पर अपने नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण कर रहा था। इसके बाद, नगर निगम देहरादून ने नगर पालिका परिषद मसूरी के ठोस अपशिष्ट को प्राप्त करने और उसका निस्तारण करने से इनकार कर दिया।
- आपातकालीन योजना के अभाव में, नगर पालिका परिषद मसूरी ने अपने ठोस अपशिष्ट के निवारण के लिए एक फर्म को अनुबंधित किया (नवम्बर 2022)। हालांकि, उस स्थान के संबंध में कोई विवरण/रिकॉर्ड पालिका के पास उपलब्ध नहीं था, जहां फर्म नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण कर रही थी। पूछताछ करने पर, नगर पालिका परिषद मसूरी ने कहा कि फर्म गाजियाबाद में ठोस अपशिष्ट का निवारण कर रही है और कंपनी छह महीने के बाद प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रदान करेगी। उत्तर से पुष्टि होती है कि पालिका ठोस अपशिष्ट के वास्तविक निस्तारण के बारे में अनभिज्ञ थी और ऐसी जानकारी के लिए केवल फर्म पर निर्भर थी।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, के नियम 16 (6) के अनुसार, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का कर्तव्य अपशिष्ट के अंतरराज्यीय परिवहन को विनियमित करना था। हालांकि, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा ठोस अपशिष्ट को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के बारे में भी सूचित नहीं किया गया था। बहिर्गमन गोष्ठी (सितम्बर 2023) में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट के हस्तांतरण के बारे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित नहीं किया था। हालांकि, मामले की जांच की जाएगी।

<u>नगर पंचायत दिनेशपुर:</u>

नगर पंचायत दिनेशपुर को ठोस अपशिष्ट के निस्तारण में चुनौती का सामना करना पड़ा क्योंकि उसके पास इस उद्देश्य के लिए अपनी जमीन नहीं थी। इसके निस्तारण के लिए, पालिका ने 2017-18 और 2021-22 के बीच ठोस अपशिष्ट डंपिंग के लिए चार स्थल किराए पर लिए। हालाँकि, पंचायत को सार्वजनिक विरोध के कारण तथा आपातकालीन योजना के अभाव में किराए की भूमि को बार-बार बदलना पड़ा। लेखापरीक्षा अवधि में किराये पर ली गई भूमि का विवरण ***परिशिष्ट-2.1*** में दिया गया है। किराये

की भूमि में ठोस अपशिष्ट की डंपिंग का हवाई दृश्य नीचे दिए गए **चित्र-2.1** और **2.2** में दिखाया गया है।

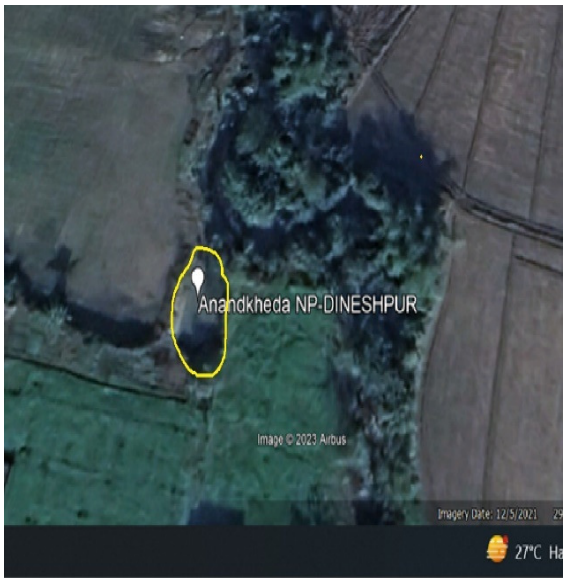

चित्र-2.1: आनंदखेड़ा में ठोस अपशिष्ट डंपिंग का हवाई दृश्य (03 फरवरी 2023)

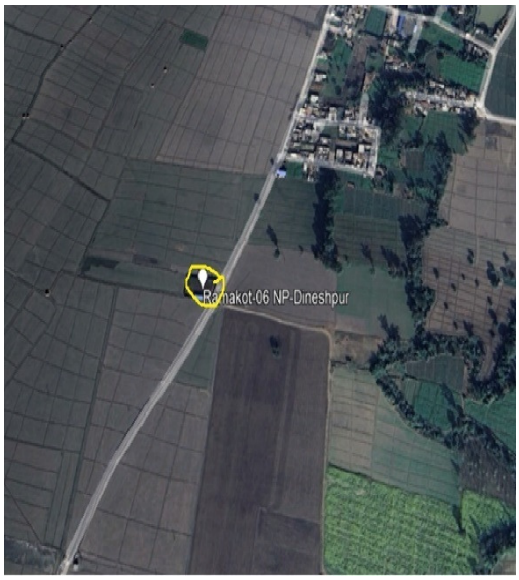

चित्र-2.2: रामकोट में ठोस अपशिष्ट डंपिंग का हवाई दृश्य (03 फरवरी 2023)

बहिर्गमन गोष्ठी (सितम्बर 2023) में अपर सचिव द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि सभी शहरी स्थानीय निकायों को आकस्मिक योजना तैयार करने के निर्देश जारी किए जायेगें और नगर पालिका परिषद मसूरी एवं नगर पंचायत दिनेशपुर के मामले पर गौर किया जाएगा। आगे, राज्य सरकार ने (दिसम्बर 2023) जोर दिया कि उन स्थितियों में जहां ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उद्देश्यों के लिए भूमि आसानी से उपलब्ध नहीं है, वैकल्पिक उपाय लागू किए जायेगें। विशेष रूप से, राज्य के भीतर कई शहरी स्थानीय निकायों में योजना के अन्तर्गत 630 नाडेप[1] पिट और 73 प्लास्टिक कॉम्पेक्टर स्थापित या निर्मित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठान विकेन्द्रीकृत संसाधनों के रूप में काम करते हैं जो जैविक अपशिष्ट और प्लास्टिक अपशिष्ट दोनों के कुशल निवारण की सुविधा प्रदान करते हैं।

सरकार की हालिया पहल की सराहना करते हुए, लेखापरीक्षा ने राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा आकस्मिक योजना की तत्काल तैयारी की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

[1] नाडेप (राष्ट्रीय कृषि व्यवसाय विकास कार्यक्रम) खाद बनाना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बायोमास अपशिष्ट, मिट्टी के अपशिष्ट और पशु अपशिष्ट को जैविक रूप से विघटित किया जाता है और जैविक खाद में विघटित किया जाता है।

2.2 घरेलू हानिकारक अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण और निवारण से संबंधित आँकड़ो का रख-रखाव न किया जाना

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के नियम 15 (झ) में घरेलू हानिकारक अपशिष्ट[2] के लिए अपशिष्ट जमा केंद्र स्थापित करने और अपशिष्ट उत्पादकों को इसके सुरक्षित निस्तारण के लिए इस केंद्र में घरेलू हानिकारक अपशिष्ट को जमा करने का निर्देश देने का प्रावधान है। ऐसी सुविधा किसी शहर या कस्बे में इस प्रकार स्थापित की जाएगी कि 20 वर्ग किलोमीटर या उसके भाग के क्षेत्र के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाए और ऐसे केंद्रों पर घरेलू हानिकारक अपशिष्ट प्राप्त करने के समय को सूचित किया जाना चाहिये। आंकड़ों को बनाए रखने के लिए सफाई निरीक्षक/ चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी की जिम्मेदारी थी और संबंधित शहरी स्थानीय निकायों में निक्षेपण केंद्र की स्थापना के लिए नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी जिम्मेदार थे।

नमूना जाँच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा घरेलू हानिकारक अपशिष्ट के उत्सर्जन, संग्रहण और निस्तारण से संबंधित अभिलेख/आंकड़े का रख-रखाव नहीं किया गया था। आगे, नमूना जाँच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कोई अपशिष्ट निस्तारण केंद्र स्थापित नहीं किया गया था सिवाय नगर निगम देहरादून को छोड़कर, जिसके द्वारा इसे 2020-21 में स्थापित किया गया था।

अपर सचिव ने बहिर्गमन गोष्ठी (सितम्बर 2023) में तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि इस संबंध में निर्देश जारी किये जायेंगे और समय पर समीक्षा भी की जायेगी। पुनः राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2023) कि घरेलू हानिकारक अपशिष्ट के लिए जमा केंद्रों की स्थापना प्रक्रियाधीन है। बायो मेडिकल अपशिष्ट के साथ-साथ घरेलू हानिकारक अपशिष्ट के संग्रहण और निवारण के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश जारी किए गए हैं।

2.3 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन

निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट में आमतौर पर निष्क्रिय सामग्री होती है, लेकिन कुछ हानिकारक सामग्री भी मौजूद हो सकती है जो इसके आसपास के वातावरण के लिए हानिकारक हो सकती है। निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट भी वायु प्रदूषण का कारण

[2] "घरेलू हानिकारक अपशिष्ट" का अर्थ है घरेलू स्तर पर फेंके गए पेंट ड्रम, कीटनाशक के डिब्बे, सी एफ एल बल्ब, ट्यूब लाइट, एक्स्पायर हो चुकी दवाएं, टूटे हुए पारा के थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरी, प्रयुक्त सुई और सिरिंज और दूषित गेज इत्यादि।

बनता है क्योंकि इसमें धूल, पी एम 10 जैसे कण, एस्बेस्टस और अन्य प्रदूषक हो सकते हैं जो हवा में मिल सकते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को कंटेनरों में रखा जाना चाहिए और इसका समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम (6) में स्थानीय प्राधिकारी (नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी) के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। स्थानीय प्राधिकारी निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा, अपशिष्ट के संग्रह के लिए उचित कंटेनरों की व्यवस्था करेगा और उन्हें स्थापित करेगा, एकत्रित अपशिष्ट को प्रसंस्करण और निस्तारण के लिए उचित स्थलों पर ले जाएगा, उत्पादन पर नज़र रखेगा और एक डेटा बेस स्थापित करेगा और वर्ष में एक बार अद्द्यतन करेगा और विशेषज्ञ संस्थानों और नागरिक समाजों के सहयोग के माध्यम से निर्माण और विध्वंस के लिए सूचना, शिक्षा और संचार की एक सतत प्रणाली बनाएगा और अपनी वेबसाइट के माध्यम से भी इसका प्रसार करेगा।

नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों से पता चला कि-

- निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के लिए उपनियम नहीं बनाए गए, जिसके परिणामस्वरूप शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दंड या जुर्माना लागू करने का कानूनी अधिकार नहीं रहा।
- प्रसंस्करण और निस्तारण के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान/सीमांकन किया जाना था। हालाँकि, यह देखा गया कि निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के लिए स्थल केवल नगर निगम देहरादून में उपलब्ध था, शेष 12 नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के लिए कोई स्थल उपलब्ध नहीं था।
- उत्पन्न, एकत्र और निस्तारण किए गए निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट से संबंधित आंकड़े केवल नगर निगम देहरादून में (नवम्बर 2020 से) उपलब्ध थे। शेष 12 नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।
- विशेषज्ञ संस्थानों और सिविल सोसाइटीज के सहयोग से निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के लिए सूचना, शिक्षा और संचार की एक सतत प्रणाली न तो बनाई गई और न ही उनकी अपनी वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित की गई।

अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के उचित संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण और निवारण के अभाव में, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल परिणामों से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के उत्पादन पर नज़र रखने में भी विफल रहे।

राज्य सरकार ने (दिसम्बर 2023) उत्तर दिया कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत तीन शहरों, देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र प्रस्तावित किए जा रहे हैं। उक्त शहरों में स्थापित सुविधाओं का उपयोग नजदीकी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जा सकता है। उत्तर से स्वयं स्पष्ट है कि ये सुविधाएं अभी तक स्थापित नहीं की गई हैं।

2.4 उपनियम का निर्धारण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 15 (ङ) के अनुसार स्थानीय प्राधिकरणों को नियम की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के दौरान इन नियमों के प्रावधानों को शामिल करते हुए उपनियम[3] तैयार करने की आवश्यकता है। इसका समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना स्थानीय अधिकारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में से एक होगा। उपनियमों को तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी की तथा अनुमोदन की जिम्मेदारी नगर निगम बोर्ड की थी।

अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि नमूना परीक्षित 13 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल पाँच[4] ने उपनियम बनाए और अधिसूचित किए थे। इस प्रकार, उपनियम बनाने में शहरी स्थानीय निकायों की विफलता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के गैर-अनुपालन को दर्शाती है।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2023) कि राज्य के 92 नगर निकायों में उपनियम तैयार कर लिये गये है और 10 नवगठित नगर निकायों में उपनियम तैयार करने की प्रक्रिया जारी है।

---

[3] "उपनियम" का अर्थ है स्थानीय निकाय, जनगणना शहर और अधिसूचित क्षेत्र टाउनशिप द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की सुविधा के लिए अधिसूचित नियामक ढांचा।

[4] नगर निगम -हल्द्वानी, नगर पालिका परिषद-मसूरी, नगर पालिका परिषद-बड़कोट, नगर पालिका परिषद-टिहरी, नगर पंचायत-अगस्त्यमुनी।

2.5 डी पी आर तैयार करने में कमियाँ

2.5.1 अप्रभावी आधारभूत अपशिष्ट विश्लेषण

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016, खंड II के नियम 1.4.3 में प्रावधानित है कि आधारभूत अध्ययन[5] का मुख्य उद्देश्य मौजूदा ठोस अपशिष्ट प्रणाली को यथासंभव सटीक रूप से समझना है और आगे की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी प्रक्रियाओं के लिए उस जानकारी का उपयोग करना है। मौजूदा सेवा की अपर्याप्तता का आकलन करने और भविष्य की योजना बनाने के दौरान स्थानीय परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। आधारभूत आँकड़े डी पी आर का महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का प्रकार, अपशिष्ट की संरचना, मात्रा और मौसम पर निर्भर करता है।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम 1.4.3.3.1 के अनुसार दीर्घकालिक योजना के उद्देश्य के लिए, किसी विशेष वर्ग के अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा निस्तारित किये गये अपशिष्ट की औसत मात्रा का अनुमान केवल कई नमूनों के आकड़ों को औसत करके किया जा सकता है। इन नमूनों को शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र के भीतर कई प्रतिनिधि स्थानों से सात दिनों की अवधि के लिए लगातार एकत्र किया जाना था तथा प्रत्येक तीन मुख्य मौसमों, जैसे गर्मी, सर्दी और बरसात, में इनका संग्रह किया जाना था।

नमूना परीक्षित किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में, शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न प्रतिनिधि स्थानों पर सात दिनों की अवधि के लिए लगातार नमूने एकत्र नहीं किए गए थे। हालाँकि, उक्त उद्देश्य के लिए किया गया आधारभूत अध्ययन शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न वास्तविक अपशिष्ट पर आधारित नहीं था।

2.5.2 अपशिष्ट विश्लेषण का संदिग्ध आकलन

अपशिष्ट विश्लेषण में अपशिष्ट उत्पाद की सटीक संरचना का निर्धारण करना शामिल है। इस प्रक्रिया में जल की मात्रा, पी एच स्तर, भारी धातुओं की उपस्थिति और जीवाणु तत्व जैसे निर्धारकों की पहचान करने के लिए कई परीक्षण करना शामिल है। प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की प्रभावी योजना

[5] अध्ययन, वर्तमान स्थिति या स्थिति और अंतर विश्लेषण के आकलन के लिए है और स्थानीय जनसांख्यिकी, भौतिक स्थान, विकास उद्देश्यों, साथ ही सामाजिक और पर्यावरणीय स्थितियों पर उचित विचार करते हुए सिस्टम की कमियों का विश्लेषण करता है।

बनाने और डिजाइन करने के लिए उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा और संरचना का आकलन करना आवश्यक है। शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा और संरचना, अपशिष्ट उत्पाद के संग्रहण, प्रसंस्करण और निस्तारण के विकल्पों का निर्धारण करती है, जिन्हें अपनाया जा सकता है। वे जनसंख्या, जनसांख्यिकीय विवरण, शहर या कस्बे में प्रमुख गतिविधियाँ, आय के स्तर और समुदाय की जीवन शैली जैसे कारकों पर निर्भर करते हैं।

अपशिष्ट विश्लेषण के लिए चार[6] शहरी स्थानीय निकायों की डी पी आर की जांच में निम्नलिखित कमियाँ सामने आयीं:

- शहरी स्थानीय निकायों ने वास्तविक रूप से उत्पन्न अपशिष्ट के आधार पर डी पी आर तैयार नहीं किये, क्योंकि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं था या उनके पास विशिष्ट डेटाशीट या सहायक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे।
- वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान इन शहरी स्थानीय निकायों में धर्मकाँटा उपलब्ध नहीं थे, इसलिए एकत्र किए गए अपशिष्ट का वजन नहीं किया जा सका। नतीजतन, डी पी आर को तैयार करते समय अपशिष्ट उत्पादन की धारणा बढ़ा-चढ़ा कर बनाई गई।
- डी पी आर को वर्ष 2004-05 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अपशिष्ट सर्वेक्षण के डेटा और जनगणना 2001 के जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग करके तैयार किया गया था और इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से पुराना था।

2.5.3 डी पी आर में महत्वपूर्ण मापदंडों की पुनरावृत्ति

नगरीय ठोस अपशिष्ट की संरचना और विशेषताएं न केवल शहरी स्थानीय निकायों के बीच बल्कि एक ही शहरी स्थानीय निकाय के भीतर भी काफी भिन्न होती हैं। डी पी आर को स्थानीय परिस्थितियों और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए। नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी डी पी आर को तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे और निदेशक, शहरी विकास विभाग, डी पी आर की जांच के लिए जिम्मेदार थे।

नगर पालिका परिषद विकास नगर (गढ़वाल क्षेत्र) और नगर पंचायत खटीमा के प्रस्तावित प्रसंस्करण सह निस्तारण स्थल का योजनाबद्ध लेआउट एक जैसा था। इसी तरह, दो अलग-अलग शहरों, अर्थात् नौगांव और बड़कोट की पर्यावरणीय स्थितियों को

[6] नगर पालिका परिषद-बड़कोट, नगर पालिका परिषद-टिहरी, नगर पंचायत-नौगाँव, नगर पंचायत-अगस्त्यमुनि।

उक्त शहरों की डी पी आर में एक जैसा दिखाया गया था। ये कमियाँ डी पी आर की गुणवत्ता पर संदेह पैदा करती हैं। डी पी आर की खराब गुणवत्ता ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं।

चित्र-2.3: नगर पालिका परिषद विकास नगर और नगर पालिका परिषद खटीमा के प्रस्तावित प्रसंस्करण व निस्तारण स्थलों का योजनाबद्ध लेआउट नीचे दर्शाया गया है:

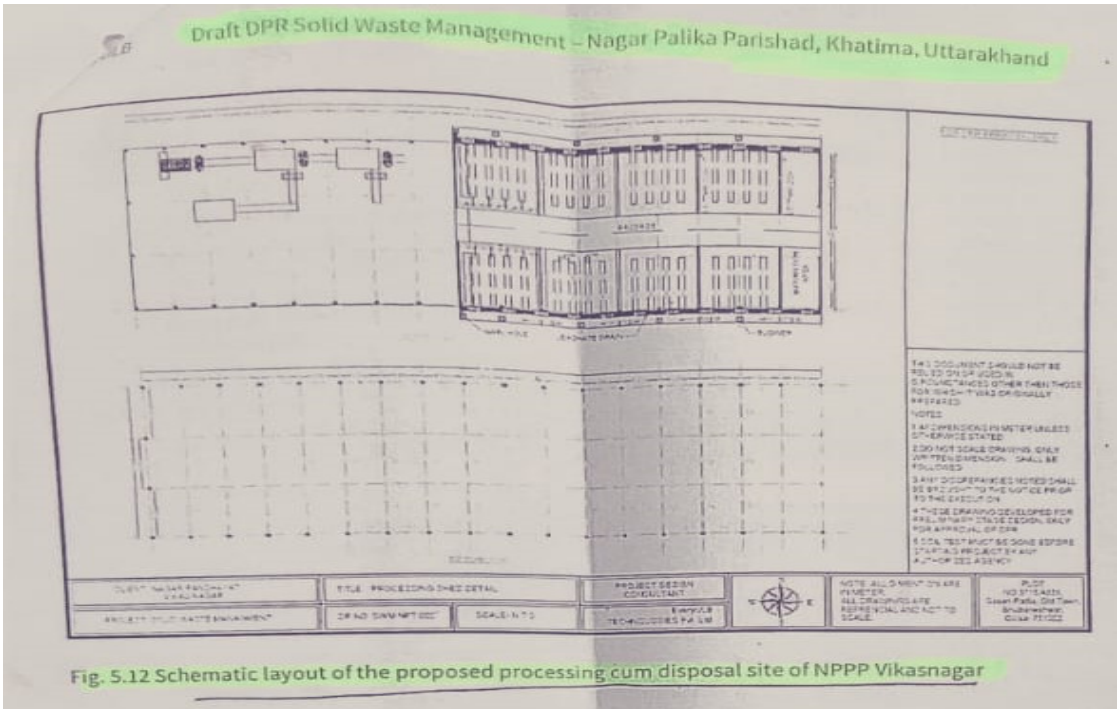

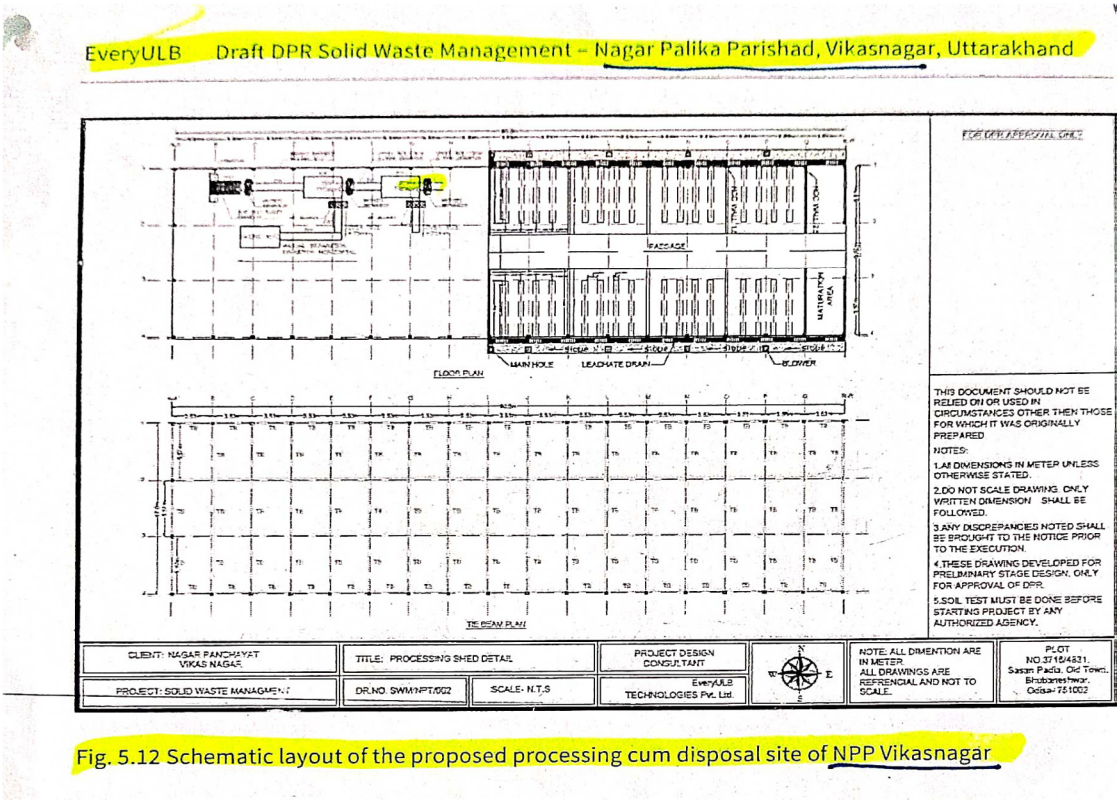

2.5.4 एक शहरी स्थानीय निकाय के छायाचित्र का उपयोग दूसरे शहरी स्थानीय निकाय के लिए किया गया (पर्यावरण का विवरण)

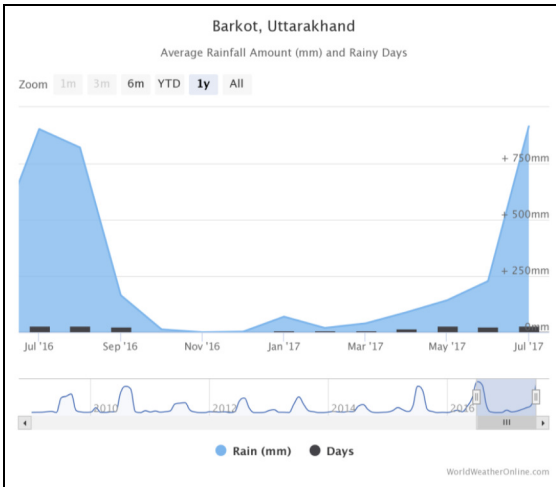

चित्र-2.4: नगर पालिका परिषद बड़कोट की ड्राफ्ट डी पी आर में पर्यावरण चित्र का विवरण दिया गया है।

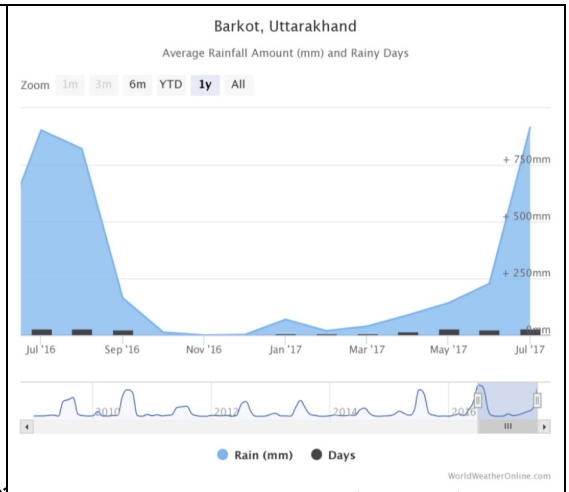

चित्र-2.5: यही चित्र (चित्र-2.4) नगर पंचायत नौगांव की ड्राफ्ट डी पी आर में भी दिया गया है।

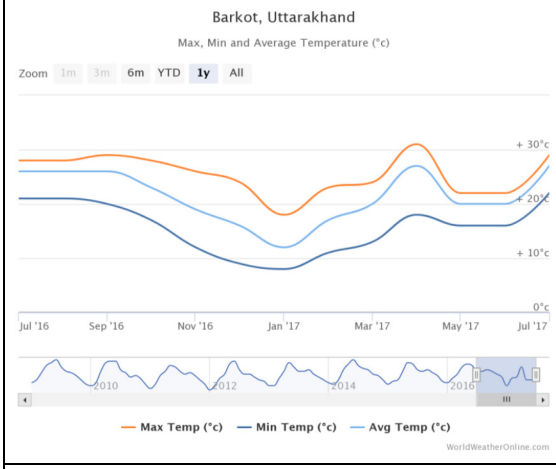

चित्र-2.6: पालिका परिषद बड़कोट की ड्राफ्ट डी पी आर में पर्यावरण चार्ट का विवरण दिया गया है।

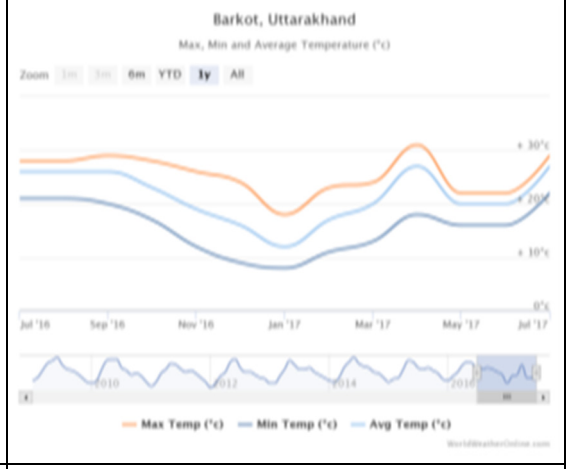

चित्र-2.7: यही चित्र (चित्र-2.4) नगर पंचायत नौगांव की ड्राफ्ट डी पी आर में दिया गया है।

डी पी आर की पुनरावृत्ति यह दर्शाती है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिम्मेदारी से नहीं किया गया।

बहिर्गमन गोष्ठी (सितम्बर 2023) में, अपर सचिव ने आश्वासन दिया कि लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए बिंदुओं पर गौर किया जाएगा और परियोजनाओं की आवश्यकता के अनुसार सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे। राज्य सरकार ने आगे अवगत कराया (दिसम्बर 2023) कि उत्तराखण्ड में अलग-अलग महीनों में ठोस अपशिष्ट उत्पादन में बदलाव होता है और चार धाम यात्रा, कांवड़, विभिन्न स्नान आदि के अनुसार अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि/कमी/ उतार-चढ़ाव होता है। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधा के लिए भूमि खरीदने का हर संभव प्रयास किया जाता है। चूंकि वन क्षेत्र 72 *प्रतिशत* से अधिक है, इसलिए

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उद्देश्य के लिए भूमि प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है। उत्तर स्वयं पुष्टि करता है कि समस्याओं को कम करने के लिए सरकार के पास कोई कार्य योजना संचालित नहीं है और न ही उपलब्ध है।

2.5.5 अनुमोदित डी पी आर की परियोजनाओं की स्थिति

नमूना परीक्षित शहरी स्थानीय निकायों में परियोजनाओं की स्थिति से स्पष्ट था कि यद्यपि डी पी आर अनुमोदित कर दिया गया था और निधियां शहरी स्थानीय निकायों को जारी कर दी गई थीं, परन्तु 13 परियोजनाओं में से 11 में, परियोजना की स्थापना का मुख्य कार्य अभी भी प्रारम्भ किया जाना शेष था। मार्च 2022 तक नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के परियोजना कार्य की स्थिति ***परिशिष्ट-2.2*** के अनुसार थी।

नमूना जांच किये गए शहरी स्थानीय निकायों में निम्नलिखित बिन्दु देखे गए-

- दो शहरी स्थानीय निकायों, नगर पालिका परिषद खटीमा एवं नगर पंचायत अगस्तमुनि में भूमि की उपलब्धता के बिना डी पी आर तैयार तथा अनुमोदित किया गया है।
- चार शहरी स्थानीय निकायों, मसूरी, नैनीताल, दिनेशपुर तथा बड़कोट में कार्य प्रगति पर था।
- दो शहरी स्थानीय निकायों हरिद्वार और देहरादून में प्रसंस्करण संयंत्र तो क्रियाशील था, परन्तु रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल (आर डी एफ) और मिश्रित अपशिष्ट को सेनेटरी लैंडफिल पर डम्प किया जा रहा था।
- नगर पालिका परिषद बड़कोट में प्रसंस्करण संयंत्र (एम आर एफ केंद्र, कम्पोस्ट पिट) स्थापित किया गया था परन्तु सेनेटरी लैंडफिल की स्थापना की जानी शेष थी।
- नगर पंचायत दिनेशपुर में, कार्य में लगे ठेकेदार की मृत्यु के बाद कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपर सचिव द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी (सितम्बर 2023) में अवगत कराया गया कि मामले की जांच की जाएगी। राज्य सरकार ने आगे (दिसम्बर 2023) अवगत कराया कि राज्य के 89 नगर निकायों को शामिल करते हुए भारत सरकार द्वारा 62 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य योजनाओं/डी पी आर को मंजूरी दी गई है, जिनमें से सात ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र पूर्ण कर लिए गए हैं और शेष में कार्य प्रगति पर हैं।

2.5.6 नमूना परीक्षित शहरी स्थानीय निकायों की डी पी आर के प्रकरण का अध्ययन

(अ) नगर पालिका परिषद नैनीताल

नगर पालिका बोर्ड नैनीताल और कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण और पुनर्चक्रण के लिए एक नवीन दृष्टिकोण[7] के साथ अमृतम (ए मल्टीडायमेंशनल रेमेडिएशन एंड इनोवेटिव टेलरिंग ऑफ मैटेरियलिस्टिक वेस्ट) शीर्षक से एक डी पी आर तैयार किया गया था। डी पी आर को राष्ट्रीय हिमालयन अध्ययन मिशन, अल्मोड़ा (एन एम एच एस) द्वारा अनुमोदित (अक्टूबर 2019) किया गया था और जिसमें तीन वर्ष की अवधि के भीतर उपयोग करने के लिए ₹ 3.50 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया था। अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए नारायण नगर, नैनीताल में लगभग 0.884 एकड़ भूमि का चयन किया गया था।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी:

- दैनिक उत्सर्जित अपशिष्ट 15 टन प्रति दिन था। जबकि डी पी आर प्रसंस्करण संयंत्र के लिए पाँच टन प्रतिदिन की क्षमता के साथ तैयार किया गया था। इससे पता चलता है कि डी पी आर वास्तविक आंकड़ों पर आधारित नहीं थे।
- कुल स्वीकृत धनराशि ₹ 3.50 करोड़ के सापेक्ष ₹ 3.30 करोड़ (कुल अनुदान का 94 *प्रतिशत*) की धनराशि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा व्यय की गई थी, परन्तु आम जनमानस द्वारा विरोध किए जाने के कारण प्रस्तावित स्थल पर प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। यह व्यय छह[8] में से चार उपकरणों की अधिप्राप्ति, प्रयोज्य सामाग्री, मानव संसाधन और आकस्मिकताओं आदि पर किया गया था।

---

[7] परियोजना का मुख्य उद्देश्य "वेस्ट टू वेल्थ" था, जहां ठोस अपशिष्ट के प्रभावी निपटान के लिए एक उन्नत "यूनिवर्सल वेस्ट अपसाइक्लिंग मशीन" विकसित की जानी थी और नगर पालिका के लिए राजस्व स्रोत के रूप में विकसित किया जाना था। इसके अतरिक्त, जैव अपघटित अपशिष्ट के लिए माइक्रो-बायो-कंपोस्टिंग संयंत्र की अवधारणा परियोजना स्थल की पारिस्थितिकी को बढ़ाने के लिए सोचा गया था; जिससे परियोजना स्थल की जैव विविधता को बनाए रखने में भी मदद मिलती है।

[8] क्रय किये गये उपकरण (छह में से चार) प्रस्तावित स्थल के स्थान के बजाय कुमाऊं विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग की प्रयोगशाला में स्थापित किए गए थे।

- इसके अतिरिक्त, शेष दो उपकरण जो स्वीकृत डी पी आर के अनुसार क्रय किए जाने थे, शहरी स्थानीय निकायों ने पाँच उपकरणों[9] के क्रय के लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी। यह भी देखा गया कि परियोजना मद में नये कार्यआदेश के लिए निधियां उपलब्ध नहीं थीं।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि चूंकि कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोगिक आधार पर पाँच टन प्रतिदिन की क्षमता से डी पी आर को तैयार किया गया था, परन्तु निर्माण के समय नगर पालिका परिषद नैनीताल की आवश्यकता को देखते हुए इसे 25-30 टन प्रतिदिन की क्षमता से स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह भी अवगत कराया कि वास्तविक मांग को पूरा करने के लिए, शेष धनराशि के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और शासन/जिला अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।

अपर सचिव ने बहिर्गमन गोष्ठी (सितम्बर 2023) में अवगत कराया कि प्रकरण की जांच की जाएगी।

(ब) नगर पंचायत अगस्तमुनि

उत्तराखण्ड सरकार ने 17 जून 2019 को नगर पंचायत अगस्तमुनि में ₹ 97.53 लाख[10] की लागत से प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना और अपशिष्ट निस्तारण स्थल निर्माण के लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की थी।

अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का निर्माण कार्य वर्तमान तक प्रारम्भ नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त भूमि आवंटन का प्रस्ताव अगस्त 2020 अर्थात डी पी आर (जून 2019) के अनुमोदन के एक वर्ष से अधिक समय के बाद भेजा गया था। इस प्रकार डी पी आर, भूमि की उपलब्धता/ अधिग्रहण के बिना तैयार किया गया था जो कि बुनियादी आवश्यकता थी। स्वीकृत धनराशि ₹ 77.38 लाख के सापेक्ष ₹ 15.58 लाख का व्यय, वाहन क्रय, डी पी आर तैयार करने और शेड[11] के निर्माण पर वहन किया गया।

---

[9] इन उपकरणों को स्वीकृत डी पी आर में शामिल नहीं किया गया था। तीन साल की अवधि के लिए प्रसंस्करण संयंत्र की संचालन और परिचालन लागत सहित ₹ 4.03 करोड़ के उपरोक्त उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए कार्य आदेश दिसम्बर 2021 में जारी किए गए थे।

[10] स्वीकृत लागत के सापेक्ष, स्वच्छ भारत मिशन से ₹ 33.15 लाख, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से ₹ 60.81 लाख और पंचायत निधि से ₹ 3.57 लाख वहन किए जाने थे। पंचायत को जुलाई 2020 तक ₹ 77.38 लाख (79 *प्रतिशत*) की धनराशि जारी की गई थी।

[11] डी पी आर तैयार करने और शेड के निर्माण के लिए ₹ 7.13 लाख का भुगतान अनियमित था, क्योंकि इन मदों को स्वीकृत डी पी आर में शामिल नहीं किया गया था।

अपर सचिव ने बहिर्गमन गोष्ठी (सितम्बर 2023) में अवगत कराया कि इस प्रकरण में जांच बैठायी जाएगी।

इस प्रकार, परियोजनाओं की स्थापना के लिए विभाग का उदासीन दृष्टिकोण, डम्प स्थल में उचित प्रसंस्करण और अपशिष्ट में कमी सुनिश्चित करने में विफल रहा।

2.6 बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के निर्माण में समय-सीमा के सापेक्ष निम्नतम उपलब्धि

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 22 के अनुसार, इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे का निर्माण स्थानीय निकायों और अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर स्वयं या सम्बद्ध एजेन्सियों द्वारा किया जाएगा।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना की स्थिति नीचे **तालिका-2.3** में दी गई है:

तालिका-2.3: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना की स्थिति

क्र. सं.	गतिविधि	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की अधिसूचना की तिथि से समय सीमा	नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में स्थिति			
			क्रियान्वित	अक्रियान्वित	लागू नहीं	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7
1.	ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा को स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान	01 वर्ष	11	02	--	नगर पंचायत अगस्तमुनि और नगर पालिका परिषद खटीमा में स्थलों का चिन्हिकरण नहीं किया गया था।
2	पाँच लाख से कम जनसंख्या के स्थानीय निकायो के योग्य उपयुक्त समूह के लिए साझा क्षेत्रीय सेनेटरी लैंडफिल सुविधा को स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान	01 वर्ष	05[12]	-	08	पाँच शहरी स्थानीय निकायों में समूह के रूप में सयुंक्त सेनेटरी लैंडफिल स्थल का चिन्हिकरण किया गया। शेष आठ शहरी स्थानीय निकायों में व्यक्तिगत स्थल है।
3	ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा और सेनेटरी लैंडफिल स्थल सुविधाओं के लिए उपयुक्त स्थलों की अधिप्राप्ति	02 वर्ष	11	02	--	नगर पंचायत अगस्तमुनि एवं नगर पालिका परिषद खटीमा में स्थलों की अधिप्राप्ति नही की गयी थी।
4	जैव निम्नीकरण, पुनर्चक्रण योग्य, दहन योग्य, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, घरेलू हानिकारक तथा निष्क्रिय ठोस	02 वर्ष	13	--	--	आंशिक रूप से लागू किया गया जैसाकि प्रस्तर 3.2 में चर्चा की गयी है।

[12] समूह- नगर निगम हल्द्वानी, नगर निगम रुद्रपुर (नगर पालिका परिषद किच्छा, नगर पालिका परिषद भवाली, नगर पंचायत लालकुआँ, नगर पंचायत भीमताल गैर-परीक्षित शहरी स्थानीय निकाय), समूह- नगर पंचायत दिनेशपुर (नगर पंचायत गूलरभोज गैर-परीक्षित शहरी स्थानीय निकाय), समूह - नगर पालिका परिषद नई टिहरी (नगर पालिका परिषद चम्बा गैर-परीक्षित शहरी स्थानीय निकाय) समूह- नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जोंक (नगर निगम ऋषिकेश, नगर पालिका परिषद डोईवाला गैर-परीक्षित शहरी स्थानीय निकाय)।

क्र. सं.	गतिविधि	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की अधिसूचना की तिथि से समय सीमा	नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में स्थिति			
			क्रियान्वित	अक्रियान्वित	लागू नहीं	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7
	अपशिष्टों का स्रोत पर पृथक्करण के लिए अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं को बाध्य करना					
5	पृथक्कृत अपशिष्ट घर-घर से एकत्र करके और प्रसंस्करण या निस्तारण सुविधाओं तक परिवहन ढके हुए वाहनों में सुनिश्चित करना	02 वर्ष	13	--	--	आंशिक रूप से लागू क्योंकि प्रस्तर 3.4.1 में चर्चा के अनुसार सभी शहरी स्थानीय निकायों में ढके हुए वाहनों में परिवहन नहीं किया जा रहा था।
6	निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट का अलग अलग भंडारण, संग्रहण और परिवहन सुनिश्चित करना	02 वर्ष	01	12	--	निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का अलग भंडारण, संग्रहण और परिवहन केवल नगर निगम देहरादून में सुनिश्चित किया गया था जैसा कि प्रस्तर 2.3 में चर्चा की गई है।
7	1,00,000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना	03 वर्ष	04	-	09	➢ नगर निगम देहरादून और नगर निगम हरिद्वार में प्रसंस्करण सुविधाएं (सेनेटरी लैंडफिल) हैं। ➢ नगर निगम हल्द्वानी और नगर निगम रुद्रपुर में सेनेटरी लैंडफिल का निर्माण प्रक्रियाधीन।
8	1,00,000 से कम जनसंख्या वाले स्थानीय निकायों और नगरों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना करना	03 वर्ष	07[13]	02[14]	04[15]	➢ सात शहरी स्थानीय निकायों में प्रक्रियाधीन है। ➢ दो शहरी स्थानीय निकायों भूमि चयन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ➢ चार शहरी स्थानीय निकायों में लागू नहीं क्योंकि जनसंख्या 1,00,000 से अधिक है।
9	प्रसंस्करण सुविधाओं से केवल ऐसे अवशेष अपशिष्ट के साथ साथ नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य अशोध्य निष्क्रिय अपशिष्टों के निस्तारण के लिए पाँच लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी स्थानीय निकायों द्वारा अथवा उनके लिए	03 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	--

[13] नगर पालिका परिषद मसूरी, नगर पालिका परिषद नैनीताल, नगर पालिका परिषद नई टिहरी, नगर पालिका परिषद बड़कोट, नगर पंचायत दिनेशपुर, नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक, नगर पंचायत नवगाँव।

[14] नगर पालिका परिषद खटीमा, नगर पंचायत अगस्तमुनि।

[15] नगर निगम देहरादून, नगर निगम हरिद्वार, नगर निगम रुद्रपुर तथा नगर निगम हल्द्वानी।

क्र. सं.	गतिविधि	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की अधिसूचना की तिथि से समय सीमा	नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में स्थिति			
			क्रियान्वित	अक्रियान्वित	लागू नहीं	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7
	सामान्य अथवा एकल सेनेटरी लैंडफिल स्थापित करना					
10	इन नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञात अपशिष्ट के निस्तारण के लिए पाँच लाख जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले सभी स्थानीय निकायों और जनगणना नगरो द्वारा सामान्य या क्षेत्रीय सेनेटरी लैंडफिल की स्थापना	03 वर्ष	05	-	08	जैसा कि बिंदु संख्या 02 में दिया गया है।
11	पुराने या परित्यक्त डम्प स्थलों का जैविक उपचार करना या उन्हें ढकना	05 वर्ष	01[16]	04[17]	08	जैसा कि प्रस्तर 2.7 में चर्चा की गई है।

स्रोत: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों से प्राप्त सूचना।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है:

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में दी गई समय सीमा में सभी नमूना चयनित इकाइयों द्वारा बुनियादी ढाँचे का निर्माण नहीं किया गया था।
- नमूना जांच किये गये 13 शहरी स्थानीय निकायों में से दो में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थलों का चिन्हिकरण/अधिप्राप्ति अभी की जानी थी।
- निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का अलग से भंडारण, संग्रहण और परिवहन केवल नगर निगम देहरादून में सुनिश्चित किया गया था।
- पुराने और परित्यक्त डंप स्थलों का जैव उपचार या ढकना पाँच शहरी स्थानीय निकायों के सापेक्ष केवल एक शहरी स्थानीय निकाय में किया गया था।

इस प्रकार, आवश्यक बुनियादी ढाँचा बनाने में विफलता के परिणामस्वरूप खुले क्षेत्रों में अपशिष्ट को डम्प किया गया तथा पर्यावरण और जनता के स्वास्थ्य को प्रभावित किया गया।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपर सचिव द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी (सितम्बर 2023) में अवगत कराया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार सभी गतिविधियाँ

[16] नगर पालिका परिषद मसूरी में कैपिंग की गयी।

[17] नगर निगम देहरादून, नगर निगम हरिद्वार, नगर पालिका परिषद खटीमा तथा नगर पालिका परिषद बड़कोट में जैव उपचार या कैपिंग नहीं की गयी।

पाँच वर्ष के भीतर अर्थात 2021-22 तक की जानी थीं। यद्यपि, कार्य प्रगति पर है तथा दिसम्बर 2024 तक पूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2023) कि 92 नगर निकायों को शामिल करने के लिए, 65 स्थलों को अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के निर्माण के लिए चयनित किया गया है। राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रगति के अनुसार, डोर-टू-डोर संग्रह, स्रोत पृथक्करण और प्रसंस्करण को पूरा करने के लिए दिसम्बर 2024 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2.7 पुराने और परित्यक्त अपशिष्ट डम्प स्थलों का जैव उपचार/ढकना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 15 (य ञ) में उल्लेख किया गया है कि डम्प स्थल के जैव-खनन और जैव-उपचार की अनुपस्थिति में स्थानीय प्राधिकरण पर्यावरण को और नुकसान से बचाने के लिए **लैंडफिल केपिंग** मानदंडों के अनुसार वैज्ञानिक रूप से डम्प स्थल को **आच्छादित** करेंगे।

नियम 22(11) में पुराने और परित्यक्त डम्प स्थलों के जैव उपचार और उन्हें ढकने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए पाँच वर्ष की समय सीमा दी गई है।

शहरी स्थानीय निकाय संबन्धित डी पी आर को तैयार करने के लिए नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, जांच के लिए निदेशक शहरी विकास विभाग तथा अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी समिति/उच्च स्तरीय समिति और नगरपालिका बोर्ड जिम्मेदार थे।

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों से स्पष्ट है कि 13 के सापेक्ष चार शहरी स्थानीय निकायों में पुराने और परित्यक्त अपशिष्ट डम्प स्थल थे, जिनमें पुराने अपशिष्ट के डम्प स्थल का जैव उपचार/ढकना शेष था, जैसा की नीचे **तालिका-2.4** में दिया गया है-

तालिका-2.4: नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में पुराने डम्प स्थलों के जैव उपचार/ढके जाने की स्थिति

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	पुराने अपशिष्ट डम्प स्थल	डम्प स्थल पर पुराने अपशिष्ट की मात्रा (लाख मीट्रिक टन)	शहरी स्थानीय निकाय द्वारा पुराने अपशिष्ट डम्प स्थल के निस्तारण के लिए डी पी आर की स्थिति
1	नगर निगम देहरादून	डांडा लौखण्ड, सहस्त्रधारा, देहरादून	6.24	तैयार की गयी तथा अनुमोदन के लिए शासन को प्रेषित।
2	नगर निगम हरिद्वार	1. सराय डम्प स्थल 2. चंडी घाट डम्प स्थल	4.21	तैयार की गयी तथा अनुमोदन के लिए शासन को प्रेषित।
3	नगर पालिका परिषद खटीमा	आठ तार, लोहिया घाट रोड, खटीमा	0.33	तैयार की गयी तथा अनुमोदन के लिए शासन को प्रेषित।
4	नगर पालिका परिषद बड़कोट	शास्त्री नगर, तिलाड़ी रोड	0.02	शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर तैयारी चल रही है
कुल योग			**10.80**	

स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है-

- पुराने अपशिष्ट की 10.80 लाख मीट्रिक टन मात्रा असंसाधित पड़ी थी।
- तीन डी पी आर, शासन स्तर पर अनुमोदन के लिए लंबित थीं जबकि एक डी पी आर, शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर तैयार की जा रही थी।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपर सचिव द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी (सितम्बर 2023) में अवगत कराया गया कि लेखापरीक्षा के बाद नगर निगम देहरादून और हरिद्वार की डी पी आर स्वीकृत कर दी गई है और शेष डी पी आर को भी शीघ्र स्वीकृत कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने आगे अवगत कराया (दिसम्बर 2023) कि पुराने अपशिष्ट के जैव उपचार का कार्य प्रगति पर है। राज्य में कुल 18.82 लाख मीट्रिक टन पुराने अपशिष्ट में से 3.60 लाख मीट्रिक टन पुराने अपशिष्ट का निस्तारण किया जा चुका है और शेष को विभिन्न स्तरों पर संसाधित किया जा रहा है।

2.8 अनुशंसाएँ

- ***राज्य सरकार को अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी कार्यान्वयन और उनकी निगरानी के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजनाओं/कार्य योजनाओं को तैयार करने में शहरी स्थानीय निकायों की सहायता के लिए प्रणालियां तैयार करने की आवश्यकता है।***
- ***राज्य सरकार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के बुनियादी ढांचे का समय पर निर्माण सुनिश्चित करना चाहिए ताकि पर्यावरण को हानि से बचाने के लिए ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, परिवहन और निस्तारण में अपनाए गए अस्थायी दृष्टिकोण से बचा जा सके। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की तैयारी, अनुमोदन और स्थापना में अत्यधिक देरी के लिए सभी स्तरों पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।***